

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 34]

नई दिल्ली, अगस्त 19—अगस्त 25, 2018, शनिवार/श्रावण 28—भाद्र 3, 1940

No. 34] NEW DELHI, AUGUST 19—AUGUST 25, 2018, SATURDAY/SRAVANA 28—BHARDA 3, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 273.—असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप–धारा (1) सपठित उप–धारा (2) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा असम राइफल्स (परा–चिकित्सीय कांडर) समूह 'ग' पदों पर भर्ती नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स (परा–चिकित्सीय कांडर) समृह 'ग' अननुसचिवीय योद्वक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. असम राइफल्स (परा—चिकित्सीय कांडर) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 (जिसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात,
 - "2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

4730 GI/2018 (1441)

- उक्त नियमों में, अनुसूची में,
 - (क) क्रम संख्या (1) के विपरीत, वारंट आफिसर (भौतिक चिकित्सक) के पद से संबंधित
 - (i) स्तंभ (4) में, शीर्षक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

| " वेतन मैट्रिक्स में स्तर | | |
|------------------------------|--|--|
| (4) | | |
| स्तर-5 (29,200 - 92,300 रु.) | | |

- (ख) क्रम संख्या (2) के विपरीत, वारंट आफिसर (शल्य शाला तकनीकी) के पद से संबंधित
 - (i) स्तंभ (4) में, शीर्षक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर रखा जाएगा, अर्थात् :--

| " वेतन मैट्रिक्स में स्तर | | |
|------------------------------|--|--|
| (4) | | |
| स्तर-5 (29,200 - 92,300 रु.) | | |

- (ग) क्रम संख्या (३) के विपरीत, हवलदार (एक्स-रे सहायक) के पद से संबंधित -
 - (i) स्तंभ (4) में, शीर्षक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर रखा जाएगा, अर्थात्:-

| ''वेतन मैट्रिक्स में स्तर | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| (4) | | | |
| स्तर−4 (25,500 — 81,100 रु.) | | | |

- (घ) क्रम संख्या (४) के विपरीत, राइफलमैन (प्रयोगशाला सहायक) के पद से संबंधित
 - (i) स्तंभ (4) में, शीर्षक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर रखा जाएगा, अर्थात:-

| " वेतन मैट्रिक्स में स्तर | | |
|------------------------------|--|--|
| (4) | | |
| स्तर-3 (21,700 - 69,100 रु.) | | |

[फा. सं. क / कार्मिक / संशोधन आर आर / पैरा मेडिकल / 2018]

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उप—खंड (i) में तारीख 24 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 205 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 31st July, 2018

G.S.R. 273.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act, 2006 (47 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Assam Rifles (Para Medical Cadre) Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2013, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Assam Rifles (Para Medical Cadre) Group 'C' Non-Ministerial, combatised posts Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Assam Rifles (Para Medical Cadre) Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2013 (herein after referred to as the said rules), for rule 2, the following rules shall be substituted, namely:-
 - "2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules".
- 3. In the said rules, in the Schedule,
 - (A) against serial number (1), relating to the post of Warrant Officer (Physiotherapist),-
 - (i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

| "Level in the pay matrix | |
|-----------------------------|--|
| (4) | |
| Level-5 (Rs. 29200-92300)"; | |

- (B) against serial number (2), relating to the post of Warrant Officer (Operation Theatre Technician),-
 - (i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

| "Level in the pay matrix | | |
|-----------------------------|--|--|
| (4) | | |
| Level-5 (Rs. 29200-92300)"; | | |

- (C) against serial number (3), relating to the post of Havildar (X-Ray Assistant),-
 - (i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

| "Level in the pay matrix | | |
|-----------------------------|--|--|
| (4) | | |
| Level-4 (Rs. 25500-81100)"; | | |

- (D) against serial number (4), relating to the post of Rifleman (Laboratory Assistant),-
 - (i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

| "Level in the pay matrix | | |
|-----------------------------|--|--|
| (4) | | |
| Level-3 (Rs. 21700-69100)". | | |

[F. No. A/Pers/Amdt RRs/Para Med /2018]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* notification number G.S.R 205, dated the 24th August, 2013.

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

- सा.का.नि. 274.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) तथा राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय कार्यालय किनष्ठ अनुवादक भर्ती नियमावली, 2011 में संशोधन के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
- 1. (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) तथा राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय कार्यालय - कनिष्ठ अनुवादक भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2018 होगा ।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) में तथा राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय कार्यालयों में (किनष्ठ अनुवादक) भर्ती नियमावली, 2011, नियम 2 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
 - "2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में उनसे जुड़ा लेवल इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) तक में यथा विनिर्दिष्ट होगा⊣"
- 3. उक्त नियमावली में, अनुसूची में, -
 - (i) कॉलम (4) में,
 - (अ) शीर्षक के लिए निम्नलिखित शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"पे मैट्रिक्स में लेवल";

(ब) विद्यमान एंट्री के लिए, निम्नलिखित एंट्री को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"पे मैट्क्स (35400 – 112400 रुपए) में लेवल 6" ;

- (ii) कालम (10) में, उप-शीर्षक 'सीधी भर्ती द्वारा' के अंतर्गत, टिप्पणी के बाद , मद (क) में, उप-मद (ii) और (iii) के स्थान पर , निम्नलिखित उप-मदों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 5 (29200-93200 रुपए) अथवा समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में छह वर्ष के सेवा की हो; अथवा
 - (iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 4 (25500-81100 रुपए) अथवा समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में दस वर्ष के सेवा की हो;"

[फा. सं. ए-16011/16/2000-प्रशा. II/V]

एस. एन. शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 24 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 266 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

New Delhi, the 20th August, 2018

- **G.S.R.** 274.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Office of the Registrar General, India (Language Division) and the Offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union territories, Junior Translator Recruitment Rules, 2011, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India (Language Division) and the Offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union territories, Junior Translator Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Office of the Registrar General, India (Language Division) and the Offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union territories, (Junior Translator) Recruitment Rules, 2011, for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."
- 3. In the said rules, in the Schedule,-
 - (i) in column (4),-
 - (a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-
 - "Level in the pay matrix.";
 - (b) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
 - "Level 6 in the pay matrix (₹ 35400-112400).";
 - (ii) in column (10), under the sub-heading 'By direct recruitment', after the Note, in item (a), for sub-items (ii) and (iii), the following sub-items shall be substituted, namely:-
 - "(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 5 in the pay matrix (₹ 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; or
 - (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 4 in the pay matrix (₹ 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department;".

[F. No. A-16011/16/2000-Ad.II/V]

S. N. SHARMA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section- 3, Sub-section (i) *vide* notification number G. S. R. 266, dated the 24th September, 2011.

नई दिल्ली. 20 अगस्त. 2018

- **सा.का.नि. 275.**—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के महारिजिस्ट्रार का कार्यालय (डिस्पैच राइडर) भर्ती नियम, 2003 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, भारत के महारिजिस्ट्रार का कार्यालय में डिस्पैच राइडर के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-
- 1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (डिस्पैच राइडर) भर्ती नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे जुड़ी पे मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं इत्यादि:- भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हताएं:** वह व्यक्ति,-
- (अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ब) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. शिथिल करने की शिक्त :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | पे मैट्रिक्स में लेवल | क्या चयन अथवा |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | अचयन पद है |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| डिस्पैच राइडर | 01*(2018) | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', | लेवल - 2 | लागू नहीं |
| | *कार्यभार के अनुसार संख्या में | अराजपत्रित, अनुसचिवीय | (19900-63200 रुपये) | |
| | परिवर्तन किया जा सकता है । | _ | | |

| सीधी भर्ती किए जाने के लिए आयु सीमा | व्यक्तियों के लिए अपेक्षित | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है |
|--|----------------------------|---|----------------------------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा | |
|--|---|
| भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | - |
| 10 | 11 |
| प्रतिनियुक्ति/आमेलन | प्रतिनियुक्ति/आमेलन: |
| | भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय या गृह मंत्रालय में नियमित एमटीएस से, जिसके न होने पर केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों में नियमित |
| | डिस्पैच राइडर या एमटीएस से जिनके पास – |
| | (अ) मोटर साइकिल या आटोरिक्शा का वैध ड्राईविंग लाइसेंस हो; और |
| | (ब) मोटर साइकिल या आटोरिक्शा की ड्राईविंग का दो वर्षों का अनुभव हो। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है | भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा |
|--|--|
| | आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| 12 | 13 |
| लागू नहीं | लागू नहीं |

[फा. सं. ए-16011/1/2001-प्रशा. II/V]

New Delhi, the 20th August, 2018

- **G.S.R.** 275.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the office of Registrar General, India, (Despatch Rider) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider in the Office of the Registrar General, India, Delhi, namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called in the Office of the Registrar General, India (Despatch Rider) Recruitment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- **4. Disqualification**.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
|------------------|---|--|-------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Despatch Rider | 01* (2018) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial. | Level-2 (Rs. 19900-63200). | Not applicable. |

| Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Two years. |

| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made |
|--|--|
| (10) | (11) |
| Deputation/absorption | Deputation/absorption: From amongst regular Multi tasking staff in the Office of Registrar General, India or Ministry of Home Affairs failing which from regular Despatch Riders or Multi tasking staff in other Ministries/Departments of the Central Government who possess - (a) valid driving license for motorcycle or auto rickshaw; and (b) two years experience in driving motor cycle or auto rickshaw. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment | |
|---|--|--|
| (12) | (13) | |
| Not applicable | Not applicable. | |

[F. No.A-16011/1/2001-Ad.II/V]S. N. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

- सा.का.नि. 276.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारिजस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय कार्यालय (मानिचत्र अधिकारी) भर्ती नियमावली, 2011 में संशोधन के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
- 1. (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय कार्यालय (मानचित्र अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2018 होगा
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय कार्यालय (मानचित्र अधिकारी) भर्ती नियमावली, 2011 (इसके पश्चात पूर्वोक्त नियमावली के रूप में संदर्भित), में नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "2. पद की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल—पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में उससे जुड़ा लेवल इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) तक में यथा विनिर्दिष्ट होगा ।"
- 3. उक्त नियमावली में, अनुसूची में, -
 - (अ) कॉलम (4) में, कॉलम के शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित कॉलम शीर्षक तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

| "पे मैट्रिक्स में लेवल | |
|---------------------------------|--|
| (4) | |
| लेवल-11 (67700-208700/- रुपए)"; | |

- (ब) कॉलम (11) में,
 - (I) उप-शीर्षक "प्रोन्नति" के अंतर्गत;
 - (i) शब्द, अंक, कोष्ठक और वर्ण "पे बैण्ड-3 (15600-39100 रुपए) और ग्रेड पे 5400 रुपए", के लिए शब्द, अंक, कोष्ठक और वर्ण "लेवल-10 (56100-177500/- रुपए)" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) टिप्पणी 2 को हटा दिया जाएगा-
 - (II) उप-शीर्षक "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)" के अंतर्गत, -
 - (i) मद (क), उप-मद (ii) में शब्द, अंक, कोष्ठक और वर्ण "पे बैण्ड-3 (15600-39100 रुपए) और ग्रेड पे 5400 रुपए" के लिए शब्द, अंक, कोष्ठक और वर्ण "लेवल-10 (56100-177500/- रुपए)" प्रतिस्थापित किया जाएगा:
 - (ii) टिप्पणी 4 को हटा दिया जाएगा;

[फा. सं. ए-51011/16/2018-प्रशा-V] एस. एन. शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 22 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 287 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 20th August, 2018

- **G.S.R.** 276.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and the Union Territories, (Map Officer) Recruitment Rules, 2011, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Map Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Map Officer) Recruitment Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."
- 3. In the said rules, in the Schedule,-
 - (i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

| "Level in the pay matrix |
|--------------------------------|
| (4) |
| Level -11 (Rs. 67700-208700)"; |

- (ii) in column (11),-
- (I) under sub-heading "Promotion",-
 - (i) for the words, figures, brackets and letters "the Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) and Grade Pay of Rs. 5400", the words, figures, brackets and letters "level-10 (Rs. 56100-177500)" shall be substituted:

- (ii) Note 2 shall be omitted;
- (II) under sub-heading "Deputation (including short-term contract)",-
 - (i) in item (a), in sub-item (ii), for the words, figures, brackets and letters "the Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) and Grade Pay of Rs.5400", the words, figures, brackets and letters "level-10 (Rs.56100-177500)" shall be substituted;
 - (ii) Note 4 shall be omitted.

[F. No. A-51011/16/2018-Ad-V]

S. N. SHARMA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section- 3, Sub-section (i) *vide* notification number G. S. R. 287, dated 22nd October, 2011.

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

- सा.का.नि. 277.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारिजिस्ट्रार का कार्यालय, सहायक महारिजिस्ट्रार (मानिचत्र) समूह 'क' भर्ती नियमावली, 2011 में संशोधन के लिए एतदद्वारा निम्निलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-
 - 1. (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, सहायक महारजिस्ट्रार (मानचित्र) समूह 'क' भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2018 होगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, सहायक महारजिस्ट्रार (मानचित्र) समूह 'क' भर्ती नियमावली, 2011 (इसके पश्चात पूर्वोक्त नियमावली के रूप में संदर्भित), में नियम 2 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
 - "2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल- उल्लिखित पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में उससे जुड़ा लेवल इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) तक में यथाविनिर्दिष्ट होगा ।
- 3. उक्त नियमावली में, अनुसूची में, -
 - (अ) कॉलम (4) में, शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

| | "पे मैट्रिक्स में लेवल | |
|---------------------------------|------------------------|--|
| | (4) | |
| लेवल-12 (78800-209200/- रुपए)"; | | |

- (ब) कॉलम (11) में, उप-शीर्षक के अंतर्गत "संयुक्त विधि [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के साथ पदोन्नति]",-
 - (i) शब्द, अंकों और वर्णों "पे बैण्ड-3 (15600-39100 रुपए और ग्रेड पे 6600 रुपए", के लिए शब्दों, अंकों और वर्णों "लेवल-11 (67700-208700/- रुपए)" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) शब्द, अंकों और वर्णों "पे बैण्ड-3 (15600-39100 रुपए और ग्रेड पे 6600 रुपए", के लिए शब्दों, अंकों और वर्णों "लेवल-11 (67700-208700/- रुपए)" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (iii) टिप्पणी 3 को हटा दिया जाएगा-

[फा. सं. ए-51011/15/2018-प्रशा-V] एस. एन. शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 06 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 226 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 20th August, 2018

- **G.S.R. 277.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Office of the Registrar General, India, Assistant Registrar General (Map) Group 'A' post Recruitment Rules, 2011, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, Assistant Registrar General (Map) Group 'A' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Office of the Registrar General, India, Assistant Registrar General (Map) Group 'A' post Recruitment Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "2. Number of post, classification and level in the pay matrix—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."
- 3. In the said rules, in the Schedule,-
 - (A) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

| "Level in the pay matrix | | |
|--------------------------------|--|--|
| (4) | | |
| Level -12 (Rs. 78800-209200)"; | | |

- (B) in column (11), under sub-heading "Composite method [deputation (including short term contract) plus promotion]",-
 - (i) for the word, figures and letters "Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 6600", the words, figures and letters "level-11(Rs. 67700-208700) shall be substituted;
 - (ii) for the word, figures and letters "Pay Band-3 Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 6600", the words, figures and letters "level-11(Rs. 67700-208700) shall be substituted;
 - (iii) Note 3 shall be omitted.

[F. No. A-51011/15/2018-Ad-V]

S. N. SHARMA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section- 3, Sub-section (i) *vide* notification number G. S. R. 226, dated 06th August, 2011.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2018

- सा.का.िन. 278.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (वाणिज्य विभाग) में हिंदी अनुवादक समूह 'ग' पदों के भर्ती नियम, 1983 की उन बातों के अलावा जिनको ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया जा चुका है अथवा किया जाना छोड़ दिया गया, के अधिक्रमण में महामिहम राष्ट्रपित एतद्वारा वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में किनष्ठ अनुवादक (समूह 'ख', राजपित्रत, अननुसचिवीय पद) की भर्ती पद्धित को अधिनियमित कर निम्निलिखित नियम बनाते हैं, नामत∷—
- 1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, कार्यालय वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कनिष्ठ अनुवादक (समूह 'ख'), पद भर्ती नियम 2018 कहा जाए।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनसे सम्बद्ध स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उपर्युक्त पद पर भर्ती की पद्धित , आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उस पद से सम्बंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट होंगी।
- 4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति
 - (अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ब) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी।

- 5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु चयन करने के दौरान आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगे।
- 6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में | चयन पद अथवा | सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा |
|----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | स्तर | अ-चयन पद | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| कनिष्ठ अनुवादक | 4* (चार) | सामान्य केन्द्रीय | वेतन मैट्रिक्स | लागू नहीं । | अधिकतम 30 वर्ष (केंद्रीय सरकार |
| | *(2018) | सेवा वर्ग 'ख' | (रु. 35,400- | | द्वारा जारी निर्देशों अथवा आदेशों |
| | ्राच्या विकार्यभार के | अराजपत्रित | 1,12,400/-) में | | के अनुसार सरकारी सेवकों हेतु |
| | | अननुसचिवीय। | स्तर -6 | | पांच वर्ष तक शिथिलनीय। |
| | आधार पर परिवर्तन किया | | | | टिप्पणीः आयु-सीमा अवधारित |
| | जा सकता है। | | | | करने के लिए निर्णायक तारीख |
| | 311 (11/41) 61 | | | | भारत में अभ्यथियों से आवेदन |
| | | | | | प्राप्त करने के लए नियत की गई |
| | | | | | अंतिम तारीख होगी । (न कि वह |
| | | | | | अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, |
| | | | | | अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, |
| | | | | | मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, |
| | | | | | सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के |
| | | | | | लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के |
| | | | | | लाहौल और स्पीति जिले तथा |
| | | | | | चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, |
| | | | | | अंदमान और निकोबार द्वीप या |
| | | | | | लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए |
| | | | | | विहित की गई है) |
| | | | | | |

| सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं | क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित | परिवीक्षा की अवधि, |
|---|--|--------------------|
| | आयु तथा अन्य शैक्षणिक | यदि कोई हो |
| | अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी | |
| 7 | 8 | 9 |
| किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि। | लागू नहीं | 2 वर्ष |
| अथवा | | |
| किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि। | | |
| अथवा | | |
| किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी सहित अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी या अंग्रेजी के सिवाय किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। | | |
| अथवा | | |
| किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी विषय के साथ हिन्दी या अंग्रेजी के सिवाय किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। | | |
| अथवा | | |
| किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी अथवा दोनों में से कोई भी परीक्षा के माध्यम में तथा अन्य अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी के सिवाय किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। | | |
| एवं | | |
| हिंदी से अंग्रेजी एवं प्रतिलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रमों सहित केंद्र अथवा राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी एवं प्रतिलोमतः अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव। | | |
| टिप्पणी 1 : | | |
| अन्यथा उच्च अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामलों में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिलनीय हैं। | | |
| टिप्पणी 2 : | | |
| अनुभव संबंधी अर्हता(एँ) कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | | |

| भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा अथवा | पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती के मामले में |
|---|---|
| प्रतिनियुक्ति/समावेशन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने | ग्रेड जिससे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है |
| वाली रिक्तियों का प्रतिशत | |
| 10 | 11 |
| सीधी भर्ती द्वारा । | लागू नहीं |
| टिप्पणी : पदग्राहियों की एक वर्ष अथवा अधिक प्रतिनियुक्ति | |
| अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश या अन्य किसी | |
| परिस्थितिवश उत्पन्न रिक्तियों को केन्दीय सरकार के : | |
| (क) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समान पद | |
| धारण करने वाले | |
| एवं | |
| (ख) कॉलम सं. 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक | |
| अर्हताओं एवं अनुभवों को धारण करने वाले अधिकारियों | |
| द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा । | |

| यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो संघटन क्या है ? | | परिस्थितियां जिनके तहत भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है | |
|---|--|---|--|
| | 12 | | 13 |
| स्थायीकरण पर विचार करने हेतु निम्नलिखित से मिलकर निर्मित समूह-'ख' | | | सं.लो.से.आ. से परामर्श आवश्यक नहीं है। |
| विभ | ागीय स्थायीकरण समिति | | |
| 1. | महानिदेशक, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी | | |
| | महानिदेशालय | - अध्यक्ष | |
| 2. | निदेशक, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी | | |
| | महानिदेशालय | – सदस्य | |
| 3. | उप निदेशक (प्रशासन), वाणिज्यिक जानकारी एवं | | |
| | सांख्यिकी महानिदेशालय | - सदस्य | |

[फा. सं. 5(1)/2012-स्था.-I]

बिपद भंजन पाल, उप महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 14th August, 2018

- **G.S.R.** 278.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Hindi Translator in the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, (Ministry of Commerce) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1983, except in respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator in the Office of the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Office of the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Junior Translator (Group 'B') Posts Recruitment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.-** The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.-**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.-** No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

Age-limit for direct recruits

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons while selecting an officer for appointment on deputation.
- 6. **Saving** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation to age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the Post | Number of post | Classification | Level in the Pay | Whether selection post or |
|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | Matrix | non-selection post |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Junior Translator | 4(Four) | General Central | Level 6 in the pay | Not applicable. |
| | *(2018) | Service Group 'B' | matrix (Rs. 35,400- | |
| | *Subject to variation | Non -Gazetted, | 1, 12,400/-). | |
| | depending upon | Non-Ministerial. | | |
| | workload. | | | |

Educational and other qualifications required for direct recruits

| Age-mint for direct recruits | Educational and other quantications required for direct rectuits |
|---|---|
| (6) | (7) |
| Not exceeding 30 years. | Master's degree from a recognised University in Hindi with English as |
| (Relaxable for Government servants up-to | a compulsory or elective subject or as the medium of examination at |
| five years in accordance with the instructions | the degree level; |
| or orders issued by the Central Government). | OR |
| | Master's degree from a recognised University in English with Hindi as |
| Note: The crucial date for determining the | a compulsory or elective subject or as the medium of examination at |
| age-limit shall be the closing date for receipt | degree level; |
| of applications from candidates in India (and | OR |
| not the closing date prescribe for those in | Master's degree from a recognised University in any subject other than |
| Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, | Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or |
| Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, | elective subject or as the medium of examination at the degree level; |
| Sikkim, Ladakh Division of Jammu & | OR |
| Kashmir State, Lahaul and Spiti District and | Master's degree from a recognised University in any subject other than |
| Pangi Sub-Division of Chamba District of | Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or |
| Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands | elective subject or as the medium of a examination at the degree level; |
| or Lakshadweep). | OR |
| | Master's degree from a recognised University in any subject other than |
| | Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective |
| | subjects or either of the two as a medium of examination and the other |
| | as a compulsory or elective subject at the degree level; |
| | AND |
| | Recognised Diploma or Certificate Course in translation from Hindi to |
| | English and vice versa or two years' experience of translation work |
| | from Hindi to English and vice versa in Central or State Government |
| | office, including Government of India Undertaking. |
| | Note1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection |
| | Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise |
| | well qualified. |
| | Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the |
| | discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority |
| | in case of candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes |
| | if at any stage of selection the Staff Selection Commission or |
| | Competent Authority is of the opinion that sufficient number of |
| | candidates from these communities possessing the requisite experience |
| | are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |
| _ | |

| Whether age and | Period of probation, if | Method of recruitment whether | In case of recruitment by |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| educational qualifications | any | by direct recruitment or by | promotion or deputation/ |
| prescribed for direct | | promotion or by | absorption, grades from |
| recruits will apply in the | | deputation/absorption and the | which promotion or |
| case of promotees | | percentage of vacancies to be | deputation/ absorption to be |
| | | filled by various methods | made |
| (8) | (9) | (10) | (11) |
| Not Applicable. | 2 years. | By direct recruitment. | Not Applicable. |
| | | | |
| | | Note: "Vacancies caused by the | |
| | | incumbent being away on | |
| | | deputation or long illness or | |
| | | study leave or under other | |
| | | circumstances for duration of one | |
| | | year or more may be filled on | |
| | | deputation basis from Officers of | |
| | | Central Government:- | |
| | | (a) Holding analogous posts on | |
| | | regular basis in the parent cadre | |
| | | or department; and | |
| | | (b) Possessing the qualifications | |
| | | and experience prescribed for | |
| | | direct recruits under col. (7)". | |

| If a | Departmental Promotion Committee exists what is its | composition | Circumstances in which the Union |
|------|---|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | Public Service Commission is to be |
| | | | consulted in making recruitment |
| | (12) | | (13) |
| Gro | oup 'B' departmental confirmation committee for co | onsidering | Consultation with UPSC not necessary. |
| con | firmation consisting of :- | | |
| | | | |
| 1. | Director General, Directorate General of | | |
| | Commercial Intelligence and Statistics | Chairman | |
| 2. | Director, Directorate General of Commercial | | |
| | Intelligence and Statistics | – Member | |
| | C | | |
| 3. | Deputy Director (Administration), Directorate | | |
| | General of Commercial Intelligence and Statistics | Member | |
| | | | |

[F. No. 5(1)/2012-Estt.-I]

BIPAD BHANJAN PAL, Dy. Director General & H.O.D.

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 279.—संविधान के अनुच्छेद 309, के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कोयला मंत्रालय, स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियम, 2015 का अधिक्रमण जिसमें ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा छूट प्राप्त कार्य शामिल नहीं है, राष्ट्रपित कोयला मंत्रालय, में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती की पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला मंत्रालय, स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

- 2. **संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मेट्रिक्स में स्तर वही होगा, जो इन नियमों से संबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा,और अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उसमें संबंधित अन्य बातें वही होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के कालम (6) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. अयोग्यता वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह का अनुबंध किया है,

बशर्तें कि केंद्र सरकार ने इस बात से संतुष्ट होकर ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दी हो कि उस व्यक्ति अथवा विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू वैयक्तिक विधि के अंतर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी है।

- 5. **छूट देने का अधिकार.** यदि केंद्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश के माध्यम से व्यक्तियों को किसी श्रेणी अथवा वर्ग के संबंध में इन नियमों के प्रावधान से छूट दे सकती है तथा इसके कारण लिखित में रिकार्ड किए जाएंगे।
- 6. **व्यावृत्ति** .- इन नियमों में शामिल किसी भी बात से केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रदान की गई आरक्षण, आयु सीमा से छूट तथा अन्य अपेक्षित रियायतें प्रभावित नहीं होगी।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मेट्रिक्स में स्तर | चयन पद अथवा अचयन पद |
|---------------------------------|--|--|---|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड I | 2 (2016)* कार्यभार के आधार पर पद संख्या में घट-बढ़ हो सकती है | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह- 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय | स्तर- 5 (29200/- रु. से 92300/- रु.) | अचयन |

| सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो | भर्ती पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भरी जाने वाली तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत |
|-------------------------------|---|-----------|-------------------------------|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | प्रोन्नति द्वारा |

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा विलयन द्वारा भर्ती के मामले में प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/विलयन किये जाने वाले ग्रेड

(11)

प्रोन्नति:-

ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा वेतन मेट्रिक्स के स्तर 5 में स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड II) अथवा स्टाफ कार ग्रेड II तथा स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड) में पंद्रह वर्षों की सम्मिलित सेवा तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट पास। टिप्पणी 1: जहां कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हता एवं पात्रता सेवाएं पूरी कर ली हैं, की प्रोन्नित पर विचार किया जा रहा हो, उनसे वरिष्ठ पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उनकी अपेक्षित अर्हता अथवा पात्रता सेवा ऐसी सेवा के आधे से अधिक अथवा 2 वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने कनिष्ठों, जिन्होंने पहले से ही ऐसी अर्हता एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली है सहित अगले उच्चत्तर ग्रेड में पदोन्नित के लिए अपनी परीवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी 2: प्रोन्नित हेतु न्यूनतम अर्हता सेवा की गणना के प्रयोजन हेतु किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016, जो कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना प्रदान करने की तारीख है, से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए वेतन मेट्रिक्स के सदृश स्तर में दी गई सेवा के समतुल्य समझा जाएगा।

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|--|--|
| (12) | (13) |
| (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) समूह- 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति व निम्नलिखित होगी: | ो संरचना लागू नहीं |
| निदेशक/उप सचिव, कोयला मंत्रालय – अध्यक्ष | |
| अवर सचिव, कोयला मंत्रालय – सदस्य | |
| अवर सचिव, कोयला मंत्रालय – सदस्य | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|----------------------------------|---|---|--|------|-----------|
| 2. स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड II | 2 (2016)* कार्यभार के आधार पर घट-बढ़ हो सकती है | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह- 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय | स्तर – 4 (25500/- रू. से 81100/-रू.) | अचयन | लागू नहीं |

| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|-----------|-----------|-----------|------------------|--|
| लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | प्रोन्नति द्वारा | प्रोन्नति- |
| | | | | ग्रेड में 09 वर्ष की नियमित सेवा सहित 19,900/- रू. से 63,200/- रू.की |
| | | | | वेतन मेट्रिक्स के स्तर – 2 में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड) तथा |
| | | | | सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट पास। |

| (12) | | (13) |
|---|----------|-----------|
| (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) समूह- 'ग' विभागीय प्रोन्नति संरचना निम्नलिखित होगी: | समिति की | लागू नहीं |
| निदेशक/उप सचिव, कोयला मंत्रालय | अध्यक्ष | |
| अवर सचिव, कोयला मंत्रालय | सदस्य | |
| अवर सचिव, कोयला मंत्रालय | सदस्य | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|--|-----|---|-----------|
| 3. स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड) | 2* (2016) * कार्यभार के आधार पर पद संख्या में घट-बढ़ हो सकती है | | स्तर - 2 (19,900/- रु. से 63,200/- रु.) | लागू नहीं |

| (6) | (7) | (8) |
|--|--|-----------|
| 18 और 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेश के अनुसार 40 वर्ष तक शिथिलनीय) | अनिवार्य: (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास अथवा समकक्ष (ii) हल्के वाहन चलाने हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक | लागू नहीं |
| टिप्पणी: आयु सीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपमंडल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के निवासी उम्मीदवारों हेतु निर्धारित अंतिम तिथि को छोड़कर) | (iii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में हल्की खराबी दूर करने में सक्षम होना चाहिए) तथा (iv) मोटर कार चलाने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव वांछनीय: (i) होम गार्ड अथवा सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा टिप्पणी 1: अनुभव के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव संबंधी योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की राय में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव धारण करने वाले इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | |

| (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|
| सीधी भर्ती अथवा पुनिर्नियोजन के लिए दो वर्ष | प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा, जिसके नहीं होने पर सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती: प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन | प्रतिनियुक्ति/आमेलन: 18,000/- रू. से 56,900/- की वेतन मेट्रिक्स के स्तर - 1 में नियमित आधार पर डिस्पेच राइडर (समूह -ग) और समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिन्होंने कोयला मंत्रालय अथवा उसके अधीनस्थ कार्यालय में 18,000/- रू. से 56,900/- की वेतन मेट्रिक्स के स्तर - 1 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उक्त ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास कालम (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव हो। सशस्त्र सेना के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन: उन सशस्त्र सेना कार्मिकों जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हों अथवा जिनका रिजर्व में स्थानान्तरण होने वाला हो तथा जिनके पास कालम (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अनुभव और अर्हताएं हों, पर भी विचार किया जाएगा। चयन हो जाने पर ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति दी जाएगी जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त किया जाना है और उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन के आधार पर रखा जाएगा। यदि ऐसे पात्र व्यक्ति पद पर चयन होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं अथवा उनका रिजर्व में स्थानान्तरण कर दिया जाता है तो उस स्थिति में उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी। |

| | टिप्पणी 1: केन्द्रीय सरकार के एक ही या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनपत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |
|--|--|
| | टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 अर्थात सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना प्रदान करने की तारीख से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को उपरोक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदत्त वेतन मेट्रिक्स में सदृश स्तर में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा जिसमें इस वेतन मेट्रिक्स में सामान्य स्तर सित एक से अधिक संशोधित ग्रेड अथवा वेतनमान का एक ग्रेड में विलय शामिल नहीं है तथा यह लाभ केवल उन्हीं पदो के लिए प्रदान किया जाएगा जिनके लिए ग्रेड वेतन तथा वेतनमान किसी प्रकार के उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन है। |

| (12) | (13) |
|---|-----------|
| समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के लिए) जिसकी | लागू नहीं |
| संरचना इस प्रकार है – | |
| निदेशक/उप सचिव, कोयला मंत्रालय – अध्यक्ष | |
| अवर सचिव, कोयला मंत्रालय – सदस्य | |
| अवर सचिव, कोयला मंत्रालय – सदस्य | |

[सं. ए-12018/1/2016-स्थापना]

एस. अशरफ, निदेशक

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 20th August, 2018

- **G.S.R.** 279.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Coal Staff Car Driver Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in the Ministry of Coal, namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Coal, Staff Car Driver Recruitment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number, classification and the Level in the Pay Matrix.** The number of the said post, its classification, and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (6) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification –** No person,--
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation to this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
- 6. **Saving** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post | Number of post | Classification | Level in Pay Matrix | Whether selection post or non-selection post |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Staff Car Driver Grade I | 2* (2016) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level - 5 (Rs. 29200 to Rs. 92300) | Non selection |

| Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|--|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | By promotion |

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

Promotion:

Staff Car Driver (Grade II) in Level 5 in the Pay Matrix with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Government.

Note 1: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service, are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016, i.e., the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

| If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition | | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|------------|---|
| (12) | | (13) |
| Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: | | Not applicable. |
| Director/Deputy Secretary, Ministry of Coal | – Chairman | |
| Under Secretary Ministry of Coal – Member | | |
| Under Secretary, Ministry of Coal – Member | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 2. Staff Car Driver Grade II | 2* (2016) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level - 4 (Rs. 25500 to 81100) | Non selection | Not applicable |

| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|----------------|----------------|----------------|--------------|--|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | By promotion | Promotion – |
| | | | | Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Level 2 in Pay Matrix of Rs.19900 to Rs.63200 with nine years of regular service in the grade and have passed he trade test, specified by the Government. |

| (12) | (13) | |
|---|------------|-----------------|
| Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: | | Not applicable. |
| Director/Deputy Secretary, Ministry of Coal | – Chairman | |
| Under Secretary, Ministry of Coal | – Member | |
| Under Secretary, Ministry of Coal | – Member | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|--|--|---|----------------|
| 3.Staff Car Driver (Ordinary Grade) | 2* (2016) *Subject to variation dependent on work load. | General Central Services Group 'C' Non-Gazetted, Non- Ministerial | Level - 2 (Rs. 19900 to Rs.63200) | Not applicable |

| (6) | (7) | (8) |
|---|--|----------------|
| Between 18 and 27 years (Relaxable | Essential: | Not applicable |
| for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the | (i) 10 th pass or equivalent from and a recognised Board. | |
| Central Government). | (ii) possession of a valid driving licence for driving light motor vehicle. | |
| Note The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing | (iii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle); and | |
| date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, | (iv) Experience of driving a motor car for at least three years. | |
| Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of | Desirable : | |
| Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- | (i) Three years service as Home Guard or Civil Volunteers. | |
| Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. | |
| | Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the | |
| | Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | |
| | up the vacancies reserved for them. | |

| (9) | (10) | (11) |
|--|---|---|
| Two years for direct recruits or re-employed | By deputation/absorption failing which by direct recruitment For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment | Deputation/Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group 'C' employees in level - 1 of Pay Matrix of Rs.18000 to Rs.56900 with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 1 of the Pay Matrix of Rs.18000 to Rs.56900 in the Ministry of Coal or its subordinate offices who possess the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). |
| | | Deputation/Re-employment for armed forces personnel The Armed Forces Personnel due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and having experience and qualifications prescribed for direct recruits under column (7) shall also be considered. If selected, such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on reemployment basis. In case, such eligible persons have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment shall be on re-employment basis. |
| | | Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be |

| | 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications. |
|--|--|
| | Note 2 : For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1 st January, 2016 i.e. the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised grade pay or pay scale into one grade with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade |
| | without any upgradation. |

| (12) | | |
|--|------------|--|
| Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of : | | |
| Director/Deputy Secretary, Ministry of Coal | – Chairman | |
| Under Secretary, Ministry of Coal | – Member | |
| Under Secretary, Ministry of Coal | – Member | |

[No. A-12018/1/2016-Estt.]

S. ASHRAF, Director

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय]

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

- सा.का.िन. 280.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/आरडी एवं टीडीसी (विरष्ठ लेखाकार, लेखा सहायक और किनष्ठ लेखाकार) भर्ती नियम, 1983, जो अब तक किनष्ठ लेखाकार के पद से संबंधित है के अधिक्रमण में, और ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा छोड़ी गई मदों को छोड़कर, राष्ट्रपित, एतदद्वारा वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) कार्यालय में किनष्ठ लेखाकार के पद की भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, नामश:-
- 1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** (1) ये नियम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, कनिष्ठ लेखाकार (समूह 'ग' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2018 कहे जाएंगे।
 - (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्टानुसार होंगे।
- **3. भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्टानुसार होंगे।

4. अनर्हता - कोई भी ऐसा व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह अथवा अनुबंधित विवाह किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित हो, अथवा
- (ख) जिसकी पत्नी/पित के जीवित रहते हुए उसने किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह अथवा अनुबंधित विवाह किया हो, उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि भारत सरकार संतुष्ट हो कि, ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर लागू निजी कानून और विवाह के दूसरे पक्ष को स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं तो इस नियम के अंतर्गत कार्रवाई से किसी भी व्यक्ति को छूट मिल सकती है।

- 5. शिथिलीकरण का अधिकार- जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मेट्रिक्स में लेवल |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| कनिष्ठ लेखाकार | 16* (2018) | सामान्य केंद्रीय सेवा | लेवल-5 |
| | * कार्यभार के आधार पर | समूह 'ग', अराजपत्रित, | (29,200-92,300 रु॰) |
| | परिवर्तनीय | अलिपिकवर्गीय | |

| क्या चयनपद | सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिए योग्यता व अन्य अर्हताएं |
|-------------------|---|---|
| या अचयन पद हैं | | |
| (5) | (6) | (7) |
| लागू नहीं | 18-25 वर्ष के मध्य (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 40 वर्षों तक के लिए छूट) नोट:- आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित तिथि होगी। | (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री, वरीयता रूप से वाणिज्य में जिसमें लेखा एक विषय हो और (ii) सरकारी कार्यालय या निजी क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय या निजी संस्थान में नकद और लेखा में तीन वर्षों का अनुभव हो। नोट 1: कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों के लिए, अधिक अर्हता प्राप्त अभ्यार्थियों के मामले में, अर्हता के संबंध में छूट है। नोट 2: कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों के लिए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में अनुभव संबंधी अर्हता में छूट है यदि, चयन के किसी भी स्तर पर, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो सकता है कि वांछित अनुभव के साथ पर्याप्त अभ्यर्थियों की संख्या उनके लिए आरक्षित पदों को भरे जाने हेत् उपलब्ध नहीं है। |

| 1 2 2 7 | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की विधि, क्या सीधी भर्ती अथवा प्रौन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ समामेलन द्वारा और विभिन्न विधि द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रतिनियुक्ति या समामेलन करने के द्वारा, ग्रेड जिसके द्वारा प्रौन्नति या प्रतिनियुक्ति या |
|-----------|-------------------------------|--|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) |
| लागू नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं |

| यदि विभागीय प्रौन्नति समिति मौजूद है, तो उसका संघटन क्या है | भर्ती करते हुए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा |
|--|--|
| (12) | (13) |
| पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति :- | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। |
| 1) निदेशक/संयुक्त निदेशक (हस्तशिल्प) – अध्यक्ष | |
| 2) क्षेत्रीय निदेशक/उप निदेशक (उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) – सदस्य | |
| 3) क्षेत्रीय निदेशक/उप निदेशक (मध्य क्षेत्र, लखनऊ) – सदस्य | |

[फा. सं. ए-50011/04/2018-प्रशा.]

अरुण कुमार यादव, निदेशक (हस्तशिल्प)

MINISTRY OF TEXTILES

[OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)]

New Delhi, the 24th August, 2018

- **G.S.R. 280.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) Headquarters/Regional Offices/RD and TDCs (Senior Accountant, Accounts Assistant and Junior Accountant) Recruitment Rules, 1983 in so far as they relate to the post of Junior Accountant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of the Junior Accountant in the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts) Junior Accountant (Group' C' Non-Gazetted Post) Recruitment Rules, 2018,
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** The number of the said post, its classification, and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of posts | Classification | Level in the pay matrix |
|-------------------|--|--|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Junior Accountant | 16* (2018) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level - 5 (Rs.29,200-92,300) |

| Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|--|--|
| (5) | (6) | (7) |
| Not applicable | Between 18 and 25 years (relaxable upto forty years in case of Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission. | (i) Degree from a recognised University or Institute, preferably in Commerce with Accounts as a subject and (ii) three years experience in Cash and Accounts in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous body or Statutory body or Private Organisation. Note 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communicate possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to |
|---|-----------------------------|--|--|
| (8) | (9) | (10) | (11) |
| Not applicable | Two years | Direct recruitment | Not applicable |

| If a Departmental Promotion Committee, exists what is its composition | | | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|------------------|--|
| | (12) | (13) | |
| | oup 'C' Departmental Confirmation Committee Infirmation) consisting of: | (for considering | Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary. |
| 1. | Director/Joint Director (Handicrafts) | - Chairman | |
| 2. | Regional Director/Deputy Director (Northern Region, New Delhi) | - Member | |
| 3. | Regional Director /Deputy Director (Central Region, Lucknow) | - Member | |

[F. No. A-50011/04/2018-Admn.]
ARUN KUMAR YADAV, Director (Handicrafts)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2018

- सा.का.नि. 281.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, (तकनीशियन ईसीटी), भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, में तकनीशियन (ईसीटी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-
- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, तकनीशियन (ईसीटी) (समूह 'ग'), भर्ती नियम, 2017 है |
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा और अर्हताएं आदि** उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |
- 4. निरर्हता : वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है : या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी | **6.** व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है |

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मेट्रिक्स में लेवल | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---------------------|---|--|--|---------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| तकनीशियन (ईसीटी) | 01 * (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (29200- 92300 रु.) | लागू नहीं होता | 18 से 25 आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो |
|---|--|--|
| (7) | (8) | (9) |
| आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातक डिग्री । वांछनीय: मनोवैज्ञानिक उपकरण को हेंडल करने में एक वर्ष तक का अनुभव । टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण 2: अनुभव संबधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। | लागू नहीं होता । | दो वर्ष टिप्पण: दो वर्ष की अवधि दो सप्ताह की कालावधि के आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूरा करने की शर्त के अध्यधीन होगी। |

| ſ | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या | प्रोन्नति/युक्तिप्रतिनि/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे |
|---|--|--|
| | प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
| | द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | |
| ĺ | (10) | (11) |
| | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता |

| | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसर्क | ो संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक |
|-------|---|------------------|---|
| | | | सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| | (12) | (13) | |
| समूह | <mark>र्ह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार</mark> करने | लागू नहीं होता । | |
| होंगे | :- | | |
| 1. | अपर चिकित्सा अधीक्षक, डा0 राम मनोहर | | |
| | लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली | - अध्यक्ष | |
| 2. | मनोवैज्ञानिक विभाग का विभाग प्रमुख | - सदस्य | |
| 3. | उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य | | |
| | सेवा महानिदेशालय | - सदस्य | |
| 4. | उप निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया | | |
| | अस्पताल, नई दिल्ली | - सदस्य | |

[फा. सं. ए. 11018/16/2014 -एमएच II]

जी. पी. सामंता, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 14th August, 2018

- **G.S.R. 281.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Dr. Ram Manohar Lohia hospital, New Delhi (Technician (ECT) Recruitment Rules, 1985, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technician (ECT) in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, Technician (ECT), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification, level in pay matrix.** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---------------------|---|--|---------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Technician (E.C.T). | 01* (2017) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level-5 (Rs. 29200-92300) | Not applicable. | Between 18 and 25 years. (Relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. |
|--|--|--|
| (7) | (8) | (9) |
| Essential: Bachelors Degree in Physics from a recognsied university. Desirable: Experience in handling psychiatric equipment for one year. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these | Not applicable. | Two years. Note: The period of two years shall be subject to successful completion of mandatory induction training of two weeks duration. |
| communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. | | |

| Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made |
|---|---|
| (10) | (11) |
| By direct recruitment. | Not applicable. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Services Commission to be consulted in making recruitment |
|--|---|
| (12) | (13) |
| Departmental Confirmation Group 'C' Committee (for considering confirmation) consisting of : | Not applicable. |
| (1) Additional Medical Superintendent, Dr. RML H —Chairman; | |
| (2) Head of Department of Psychiatry department —Member; | |
| (3) Deputy Director, Medical Hospital, Directorate General of Health Services —Member; | |
| (4) Deputy Director, Dr. RML Hospital —Member; | |

[F.No. A. 11018/16/2014-MH II] G. P. SAMANTA, Under Secy.